

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

एसआईसी)SIC(, सफदरजंग अस्पताल में सीनियर फ्यसीओथेरपिस्ट के पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर
सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के लिए इच्छुकिप्पे का 201514017/61/2008-
के अनुपालन में (आरआर)पनास्था, एसआईसी(SIC), सफदरजंग अस्पताल में सीनियर फ्यसीओथेरपिस्ट के पद
के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिक पण्धारक भर्ती नियमों पियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुकिप्पे/
के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से दिनों की अवधि के भीतर श्री थेंकोलाल बैटे 30,) Thenkhola baite (अनुभाग अधिकारी -एमएच)!!(, कमरा सं. 405, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या t.baite12@nic.in पर ईमेल कर -
सकते हैं।

ग.ए.रघुवंशी
(ग.ए.रघुवंशी) 17/11/17

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 011-23061436

नई दिल्ली
दिनांक :

४६

(भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख :

2017

सा.का.नि. राष्ट्रपति, संघीयधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः -

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का नाम सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपादान अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अहताएं - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

निरहता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

व्यावृति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिलड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएँ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7) लागू नहीं होता।	(8) लागू नहीं होता	(9) दो वर्ष।	(10) प्रोन्नति द्वारा।

<p>प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा ।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।</p>
<p>(11)</p> <p>सफदरजंग अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के फिजियोथेरेपिस्ट के पद से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स लेवल 6 के ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पणी-1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विधार किया जा रहा हो उन्हां उनमें उच्चतम व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।</p>	<p>(12)</p> <p>विभागीय पुष्टि समिति:</p> <p>अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष</p> <p>समुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भंडालय- सदस्य</p> <p>अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य</p> <p>चिकित्सा अस्पताल के निदेशक - सदस्य</p>	<p>(13)</p> <p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।</p>

(सं. ए.12018/27/2016-एमएच-11)

(संजय पंत)

अवर सचिव, भारत सरकार